महत्वपूर्ण एवं खास

ग्राम घघरा में थाना खरसिया की जुआ रेड कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया में पदस्थ सउनि लखनलाल यादव, प्रधान आरक्षक, शंकर क्षत्री, लक्ष्मी नारायण राठौर, आरक्षक प्रदीप तिवारी, गंगाराम यादव, राजेश राठौर द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम घघरा के गेरोईहा तालाब के किनारे रोड लाईट के प्रकाश में 52 पत्ती ताश से जुआ खेल रहे लोगों को घेराबंदी कर पकडे। मौके पर जुआडियान 01.आरती दास वैष्णव पिता दामोदर उम्र 54 वर्ष निवासी महका 02. मनहरण सारथी पिता फूल सिंह उम्र 35 वर्ष साकिन मकरी 03. विजय डनसेना पिता अमर सिंह उम्र 42 वर्ष साकिन मदनपुर 04. मुकेश अग्रवाल पिता महावीर प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी छपरीगंज खरसिया को रंगे हाथों पकडा गया जिनके फड से कुल 3800 रू. एवं कब्जे से 1200 रू जुमला 5000 रूपये, 52 पत्ती ताश ,एक प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध अप.क्र. 271/19 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

एसबीआई खरसिया खाते की रकम सिलीगुडी से आहरण हुआ, खातेदार को जानकारी तक नहीं

अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध

न्याय साक्षी/रायगढ़। नयागंज कोष्टापारा रायगढ में रहने वाला अशोक कुमार देवागंन पिता नीलाम्बर उम्र 59 वर्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मदनपुर खरसिया में चपरासी के पद पर कार्यरत है। अशोक कुमार देवांगन के स्टेट बैंक शाखा खरसिया के बचत खाता से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 93,500/ रूपये आहरण कर लेने का रिपोर्ट दर्ज कराया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 07.05.19 को 02 माह का मेरा वेतन मेरे खाते में आया था। दिनांक 08.05.19 को जब अशोक देवांगन बैंक में आहरण फार्म भरकर अपने खाते से 30,000/रू. निकाला तो उसके मोबाईल पर मैसेज आया कि खाते में 13,865/ रूपये शेष है। तब बैंक से जानकारी लिया तो ज्ञात हुआ कि 01.05.19 को 40,000/ रू. एवं 02.05.19 को 40,000/ रू. अज्ञात व्यक्ति द्वारा ए.टी.एम. से एवं 02.05.19 को 13,500/ रू. आरव रंगास्वामी आंध्रप्रदेश के नाम पर ट्रांसफर हुआ है। रिर्पोटकर्ता के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 275/19 धारा 420 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

लगभग दो क्विंटल गांजा के साथ एक गांजा तस्कर गिरफ्तार, सरिया पुलिस की कार्यवाही

पुलिस को देखकर सुमो वाहन चालू हालत में छोड़ भागे आरोपीगण, नहर में जा गिरी वाहन

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक को मुखबिर से सूचना मिला की सुमो वाहन से चन्द्रपुर के रास्ते गांजा परिवहन किया जावेगा। सूचना पर थाना प्रभारी वासनिक द्वारा अपने स्टाफ की टीम बनाकर ओडिसा से जिले में प्रवेश करने वाले रास्तों में नाकेबंदी करना सुनिश्चित किये। इसी बीच सुबह करीब 10:00 बजे कंचनपुर के रास्ते से सरिया में प्रवेश कर रही सुमो वाहन जिसमें ओडी-33/एडब्ल्यू5189 नम्बर प्लेट लगा हुआ था, प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव की पार्टी ने वाहन को पीछा किया तो वाहन को चालक वाहन को लाथ नहर के पास चंद्रपुर रोड में चालू हालत में छोड़कर भागने लगा जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया। रोड़ पर खड़ी सुमो वाहन अपने आप नहर किनारे की ओर चली गई जिसे सरिया पुलिस द्वारा जेसीबी की मदद से ऊपर लाया गया। वाहन से 1 क्विंटल 75 किलो गांजा कीमती 8 लाख 75 हजार

रूपये का बरामद किया गया है, वाहन के अंदर एक और गाडी का नम्बर प्लेट सीजी-11 एमए 8007 मिला है। पकडे गये आरोपी ने अपना नाम अशोक पिता भोलाराम उरांव 30 वर्ष नि. बालको नगर कोरबा बताया है तथा बताया कि उसका साथी बबलू चन्द्रा बमनीडीह जिला जांजगीर पुलिस को देखकर वाहन से उतर कर भाग गया। आरोपी अशोक उरांव ने बताया कि वर्ष 2017 में कोरिया जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजा तस्करी के प्रकरण में गिरफ्तार होकर चालान हुआ था। फरार आरोपी बबलू चंद्रा की पतासाजी के लिये सरिया पुलिस जांजगीर रवाना हो चुकी है। शीघ्र फरार आरोपी को गिरफ्तार किया जावेगा। गांजा तस्करों के विरूद्ध थाना सरिया में अप.क्र. 85/19 धारा 20(B)NDPS Act की कार्यवाही की गई है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक, सउनि जनक साहू, प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव, केशव देवता, आरक्षक श्याम प्रधान, अशोक पटेल, हेंमत एक्का, गोपाल प्रसाद साहू, राजेश उरांव, गोपाल डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

शादी काप्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना बरमकेला में आज दिनांक 24.06.19 को 25 वर्षीय युवती द्वारा नाविक निषाद पिता श्याम लाल निषाद उम्र लग0 30 वर्ष के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुषकर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

पीड़िता ने बतायी कि कक्षा बारहवीं पढने के दौरान नाविक निषाद से जान परिचय हुआ। नाविक निषाद प्रेम संबंध बनाकर शादी का प्रलोभन देकर गांव में शारीरिक संबंध स्थापित किया तथा नाविक रायगढ़ जहां काम करता है वहां भी अपने साथ ले जाकर पत्नि बनाकर रखा और संबंध बनाया। उसके कुछ दिनों बाद नाविक गांव लाकर छोड दिया और वापस नहीं आया।

छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में बलवा, मामले में 04 अपचारी बालक सहित 10 लोग गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल में छातामुडा में रहने वाली 17 वर्षीय बालिका रिपोर्ट दर्ज करायी कि शाम करीब 05:00 बजे इसके माता पिता नानी के घर गये थे। घर में बालिका अकेली थी कि रात करीब 07:00 बजे पडोस में रहने वाला नरेश पटेल घर अंदर आया और गलत नियत से छेडखानी कर रहा था। उसी समय बालिका के चचेरा भाई को आता देख नरेश पटेल बालिका के घर से भाग गया। छेडखानी की घटना को लेकर रात करीब 11:00 बजे बालिका के मोहल्ले के कुछ महिला, पुरूष नरेश पटेल के घर घुसकर लाठी डण्डा से मारपीट किये हैं। मारपीट की घटना को लेकर नरेश पटेल के पिता भगतराम पटेल उम्र 61 वर्ष निवासी छातामुडा द्वारा विरेश यादव, गजपति मालाकार, कृष्णा बरेठ एवं तीन महिलाए व अन्य के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। थाना कोतवाली चौकी जूटमिल में पीडित बालिका के रिपोर्ट पर अप.क्र. 469/19 धारा 456, 354, 354(क) भादवि, 8 पाक्सो एक्ट का अपराध नरेश पटेल के विरूद्ध दर्ज किया गया है। आरोपी नरेश पटेल घटना के बाद से फरार है। रिपोर्टकर्ता भगतराम पटेल के रिपोर्ट पर विरेश यादव, गजपति मालाकार, कृष्णा बरेठ एवं तीन महिलाए व अन्य के विरूद्ध अप.क्र. 470/19 धारा 147, 148, 294, 323, 506(बी), 458 भादंवि दर्ज कर आरोपीगण विरेश यादव, गजपति मालाकार, कृष्णा बरेठ, तीन महिलाए एवं 03 अपचारी बालक को गिरफ्तार कर रिमाण्ड में भेजा गया है।

धान चोरी की बात उजागर न हो इसलिए दो भाईयों ने अपने साथी के गांव के दो लोगों से की मारपीट

» मारपीट से दोनों आहत को आयी गंभीर चोटें, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार » पीड़ितो की मदद के लिए आगे आयी घरघोड़ा पुलिस

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा में विकास यादव पिता स्व. भागऊ राम यादव उम्र 28 वर्ष निवासी फोकटपारा घरघोडा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 19.06.19 के सुबह भोर में करीब 04:00 बजे भोठोमुडा तालाब के पास इसके चाचा सहदेव यादव पिता मुनिराम यादव उम्र 38 वर्ष और चचेरे चाचा रमेश यादव पिता दाखन यादव उम्र 38 वर्ष के साथ गांव के संजय यादव उसके भाई संजू यादव और उसके साथी ने मारपीट किये हैं , रिपोर्ट पर पर अप.क्र. 118/19 धारा 294, 506, 323, 34 भादंवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।

जानकारी के अनुसार संजय यादव और उसके भाई संजू यादव को सहदेव यादव और रमेश यादव ने गांव में एक घर से धान चोरी कर ले जाते हुये देखा था। हालाकि चोरी की रिपोर्ट थाना घरघोड़ा में दर्ज नहीं कराया है किन्तु संजय यादव और उसके भाई संजू ने अपने साथी के साथ मिलकर यह बात उजागर न हो इसलिये सहदेव व रमेश को बेतहासा मारपीट किये। दिनांक घटना को सूचना पर डॉयल 112 द्वारा दोनों आहतों को CHC घरघोड़ा में भर्ती कराया जहां से दोनों को KGH रिफर किया गया था। KGH रायगढ़ में दोनों की स्थिति को देखने के बाद बेहतर ईलाज के लिए आहतों को डॉक्टरों ने रायपुर या जिंदल ले जाने की सलाह परिजनों को दिये परन्तु आहतों को उनके परिजन घर ले आये। प्रकरण की विवेचना में आहतों का

मुलाहिजा एवं क्योरी रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। आहतों के सिर में प्राण घातक चोट तथा सी.टी. स्कैन में सिर में फ्रेक्चर होना पाये जाने से प्रकरण में धारा 307 IPC जोडी गई है। मामले के 01 आरोपी संजय यादव पिता ललित यादव उम्र 23 वर्ष निवासी फोकटपारा को गिरफ्तार किया गया है। दो अन्य आरोपी फरार है। थाना घरघोड़ा से उप निरीक्षक सुरेन्द्र दुबे विवेचना में आहतों के घर गये थे। आहतों के वारिशानों ने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से आहतों को ईलाज के लिये बाहर नहीं ले जाना बताये जिस पर थाना घरघोड़ा स्टाफ आहतों को रायपुर ले जाने के लिये वाहन एवं कुछ आर्थिक सहायता की व्यवस्था मदद का भरोसा दिये हैं और शीघ्र आहतों को हायर सेंटर ले जाने की समझाईस दिये।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं तीनगत एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं मार्केटिंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती रेकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में तमाम सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480